

out getting their consent to be transported and charges had been paid even for non-utilisation of the services of these buses ; and

(d) if so, the steps which Government had taken to fix the responsibility of the persons concerned for non-recurrence of such unscrupulous action ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) An expenditure of about Rs.2,838.00 was incurred for serving one meal at the railway station, at the time of commencement of their return journey, to the refugees who had squatted in front of Jaisalmer House and the Prime Minister's residence during 1968-69.

(b) A sum of Rs.6,316.50 was paid to the Delhi Transport Undertaking on account of the buses hired for transportation of the refugees mentioned above to the railway station.

(c) Buses were hired not every day, but only on specific days, after obtaining the consent of the refugees to move to the Railway Station. However, on a few occasions, the migrants changed their mind at the last moment, after the buses had arrived ; in such cases, the minimum hire charges had to be paid to the Delhi Transport Undertaking.

(d) Does not arise.

राष्ट्रीय बीज निगम में हरिजन आदि-वासियों के लिये स्थानों का आरक्षण

8111. श्री रामसिंह अयरवाल : क्या साक्ष तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम में हरिजन आदिवासियों के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि आरक्षण किया गया है ; तो कितने प्रतिशत आरक्षित पद भरे गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

साक्ष, कृषि, सामुदायिक विकास और सह-कारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भग्ना साहिब शिन्डे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम के भर्ती नियमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अभ्याषियों के लिये पदों के आरक्षण की व्यवस्था है।

(ख) 51 प्रतिशत।

यह कमी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उचित अभ्याषियों की अनुपलब्धि के कारण है। भूतः रिक्त स्थान वर्ष प्रति वर्ष भ्रागे ले जाये जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

सागर जिले में कृषि कालेज खोलना

8112. श्री राम सिंह अयरवाल : क्या साक्ष तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर जिले की खुराई तहसील एक कृषि केन्द्र है और कृषि में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार सागर जिले में एक कृषि कालेज स्थापित करने का प्रयास करेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि वहाँ एक कृषि कालेज खोल दिया जाय ; तो उससे प्राकृतिक जल, तकनीकी शिक्षा में प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है और बीड़ी उद्योग-पतियों का एकाधिकार समाप्त किया जा सकता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वहाँ कृषि कालेज स्थापित करने में सरकार को क्या भ्रङ्चनें हैं ?

साक्ष, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सह-कार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भग्ना साहिब शिन्डे) : (क) सागर जिले की खुराई तहसील की भूमि काफी उर्वर तथा कृषि योग्य है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि सागर में कृषि महा-